



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)

DOI : 03.2021-11278686

ISSN : 2582-8568

IMPACT FACTOR : 8.428 (SJIF 2026)

भारत में स्कूली शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में एक आलोचनात्मक एवं नीतिगत विश्लेषण (Public-Private Partnership (PPP) in School Education in India: A Critical and Policy Analysis in the Context of the Right to Education Act, 2009)

सैम डी. चंद¹, डॉ. अमिता चौधरी²

^{1,2}बी.एड विभाग, एन.के.बी.एम.जी पी.जी कॉलेज, चंदौसी, संभल, यू.पी.

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली। (उत्तर प्रदेश, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686

DOI Link :: <https://doi-ds.org/doi/10.2026-84555579/IRJHIS2609006>

सारांश:

भारत में सार्वभौमिक, समानतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक तथा नीतिगत जिम्मेदारी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (*Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009*) ने 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को विधिक अधिकार का स्वरूप प्रदान किया। इसी संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (*Public-Private Partnership—PPP*) को शिक्षा प्रणाली की क्षमता, अधोसंरचना, नवाचार, सेवा-प्रदाय और सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करने वाले संभावित साधन के रूप में देखा जाता है। तथापि, शिक्षा में निजी भागीदारी का विस्तार अपने साथ समानता, जवाबदेहिता, विनियमन, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न करता है।

यह शोध-पत्र भारत में स्कूली शिक्षा के संदर्भ में PPP की भूमिका का वैचारिक, कानूनी, नीतिगत और आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c), National Education Policy (NEP) 2020, सार्वजनिक-निजी भागीदारी संबंधी नीतिगत ढाँचों तथा उपलब्ध साहित्य के आधार पर PPP के विभिन्न मॉडलों का विश्लेषण किया गया है। विशेष ध्यान सार्वजनिक वित्तपोषित-निजी प्रबंधन मॉडल, CSR आधारित साझेदारियों तथा निजी विद्यालयों को सार्वजनिक सब्सिडी/प्रतिपूर्ति पर दिया गया है।

विश्लेषण से संकेत मिलता है कि PPP मॉडल अधोसंरचना, संसाधन-संग्रहण, प्रबंधन क्षमता और कुछ संदर्भों में शिक्षा तक पहुँच के विस्तार में उपयोगी हो सकते हैं। विशेषकर RTE Act की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था सामाजिक समावेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, PPP का प्रभाव सीखने के परिणामों, वास्तविक समानता और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच के संदर्भ में मिश्रित और संदर्भ-निर्भर दिखाई देता है। प्रतिपूर्ति में विलंब, कमजोर निगरानी, सामाजिक पृथक्करण, चयनात्मक भागीदारी तथा जवाबदेहिता के विखंडन जैसी चुनौतियाँ PPP की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं।

अध्ययन का निष्कर्ष है कि PPP को सार्वजनिक शिक्षा का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक माना जाना चाहिए। अधिकार-आधारित, समानता-उन्मुख, परिणाम-आधारित और मजबूत सार्वजनिक विनियमन से समर्थित PPP ढाँचा भारत में शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को सुदृढ़ करने की अधिक उपयुक्त दिशा हो सकता है।

मुख्य शब्द: सार्वजनिक-निजी भागीदारी, PPP, शिक्षा का अधिकार, RTE Act 2009, NEP 2020, निजी विद्यालय, सामाजिक समावेशन,

1. परिचय :

शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार है। भारत में शिक्षा को केवल मानव पूंजी निर्माण का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक अधिकार की दृष्टि से भी देखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने विधिक रूप प्रदान किया।

RTE Act का उद्देश्य बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, विद्यालयों के न्यूनतम मानकों की स्थापना तथा वंचित समूहों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। अधिनियम शिक्षा को कल्याणकारी प्रावधान से आगे बढ़ाकर अधिकार-आधारित व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।

इसी व्यापक संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा में PPP से आशय सामान्यतः सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी संस्थाओं के बीच ऐसी संस्थागत व्यवस्था से है जिसमें शिक्षा के वित्तपोषण, अधोसंरचना, सेवा-प्रदाय, प्रबंधन, प्रशिक्षण अथवा अन्य शैक्षिक गतिविधियों में निजी पक्ष की भागीदारी होती है।

PPP के समर्थक इसे संसाधन-संग्रहण, प्रबंधन दक्षता, नवाचार, तकनीकी एकीकरण और सेवा-प्रदाय की क्षमता बढ़ाने का साधन मानते हैं। दूसरी ओर, आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह प्रश्न उठाता है कि यदि शिक्षा में बाजार-आधारित प्रोत्साहनों को पर्याप्त सार्वजनिक विनियमन के बिना बढ़ाया गया, तो इससे सामाजिक असमानता, चयनात्मक प्रवेश, जवाबदेहिता की कमी और सार्वजनिक शिक्षा के कमजोर होने का जोखिम पैदा हो सकता है।

इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए अथवा नहीं, बल्कि यह है कि **किस प्रकार की PPP व्यवस्था RTE Act के अधिकार-आधारित उद्देश्यों, समानता और सार्वजनिक जवाबदेहिता के साथ सबसे अधिक संगत है।**

2. समस्या का प्रतिपादन :

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने अधोसंरचना, शिक्षक उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशासनिक क्षमता, डिजिटल संसाधनों और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी अनेक चुनौतियाँ हैं। निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट संस्थाओं के पास कुछ क्षेत्रों में पूंजी, प्रबंधन क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता तथा नवाचार की क्षमता उपलब्ध है।

फिर भी PPP को स्वतः शिक्षा की गुणवत्ता और समानता का समाधान नहीं माना जा सकता। PPP मॉडल की सफलता उसके डिजाइन, अनुबंध, वित्तपोषण व्यवस्था, निगरानी, परिणाम-आधारित जवाबदेहिता और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है।

RTE Act की धारा 12(1)(c) इस बहस को विशेष महत्व देती है क्योंकि इसके माध्यम से निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निर्धारित की जाती हैं। इस व्यवस्था में राज्य और निजी विद्यालय के बीच वित्तीय एवं नियामक संबंध स्थापित होता है।

अतः यह अध्ययन PPP को केवल दक्षता के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि **पहुँच, समानता, गुणवत्ता, जवाबदेहिता और बाल अधिकारों** के संयुक्त दृष्टिकोण से परखता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य :

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. भारत में स्कूली शिक्षा के संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. RTE Act, 2009 के अंतर्गत PPP से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करना।
3. शिक्षा में प्रचलित प्रमुख PPP मॉडलों की पहचान एवं तुलनात्मक समीक्षा करना।
4. PPP के शिक्षा तक पहुँच, गुणवत्ता, अधोसंरचना और सामाजिक समावेशन पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना।
5. PPP के संदर्भ में समानता, जवाबदेहिता, विनियमन और सार्वजनिक हित से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना।
6. भारतीय संदर्भ में अधिक प्रभावी और अधिकार-आधारित PPP व्यवस्था के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

4. अनुसंधान प्रश्न :

अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख प्रश्नों का उत्तर खोजता है:

- RQ1:** भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में PPP की प्रमुख भूमिकाएँ और मॉडल कौन-से हैं?
- RQ2:** RTE Act, 2009 का कानूनी ढाँचा PPP को किस सीमा तक समर्थन या नियंत्रित करता है?
- RQ3:** PPP मॉडल शिक्षा तक पहुँच, गुणवत्ता और सामाजिक समावेशन को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?
- RQ4:** PPP व्यवस्था के प्रमुख शासन, वित्तीय, समानता और जवाबदेहिता संबंधी जोखिम क्या हैं?
- RQ5:** RTE के अधिकार-आधारित उद्देश्यों के साथ PPP को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे जोड़ा जा सकता है?

5. अनुसंधान पद्धति :

यह अध्ययन वैचारिक एवं द्वितीयक-स्रोत आधारित शोध (conceptual and secondary-source-based research)

है। अध्ययन में प्राथमिक सर्वेक्षण अथवा स्वतंत्र सांख्यिकीय नमूना शामिल नहीं किया गया है। इसलिए निष्कर्षों को आधारभूत कारणात्मक निष्कर्ष के रूप में नहीं बल्कि साहित्य, कानूनी प्रावधानों, नीतिगत दस्तावेजों और तुलनात्मक विश्लेषण से विकसित निष्कर्षों के रूप में समझा जाना चाहिए।

अध्ययन में निम्नलिखित स्रोत-श्रेणियों का उपयोग किया गया है:

- भारत सरकार के शिक्षा संबंधी कानून एवं नीतिगत दस्तावेज;
- RTE Act, 2009 और संबंधित नियम;
- नई शिक्षा नीति, 2020;
- PPP संबंधी सरकारी दिशानिर्देश;
- शिक्षा में PPP से संबंधित अकादमिक साहित्य;
- UNESCO, World Bank, UNICEF तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सामग्री;
- शिक्षा, निजी विद्यालयों और सामाजिक समावेशन से संबंधित उपलब्ध द्वितीयक अध्ययन।

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण में कानूनी विश्लेषण, वैचारिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण और आलोचनात्मक नीति विश्लेषण

का प्रयोग किया गया है।

6. वैचारिक रूपरेखा :

शिक्षा में PPP को ऐसी औपचारिक सहयोगात्मक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है जिसमें सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी संस्था शिक्षा सेवा के किसी एक या अनेक आयामों—जैसे वित्तपोषण, अधोसंरचना, प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण, ICT, मूल्यांकन या सेवा-प्रदाय—में साझा भूमिका निभाते हैं।

इस अध्ययन में PPP की प्रभावशीलता को पाँच प्रमुख आयामों के आधार पर देखा गया है:

PPP हस्तक्षेप → शासन और नियमन → पहुँच → गुणवत्ता → समानता और समावेशन

इसके साथ जवाबदेहिता और सार्वजनिक वित्तपोषण को मध्यवर्ती नियंत्रणकारी तत्व माना गया है।

6.1 PPP के प्रमुख मॉडल :

(क) अधोसंरचना आधारित PPP

इसमें निजी साझेदार विद्यालय भवन, सुविधाओं, तकनीकी अधोसंरचना अथवा रखरखाव में योगदान करते हैं। BOT, BOOT और DBFO जैसे मॉडल व्यापक PPP साहित्य में इसके उदाहरण हैं।

(ख) सेवा-प्रदाय आधारित PPP

निजी संस्थाएँ शिक्षक प्रशिक्षण, ICT, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सहायता अथवा उपचारात्मक शिक्षण जैसी विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करती हैं।

(ग) प्रबंधन आधारित PPP

निजी संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों को सार्वजनिक विद्यालयों अथवा उनके कुछ प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है।

(घ) वाउचर/सब्सिडी आधारित PPP

इस मॉडल में सार्वजनिक वित्तपोषण विद्यार्थी या निजी प्रदाता के माध्यम से शिक्षा सेवा की खरीद अथवा प्रतिपूर्ति से जुड़ा है।

(ङ) CSR एवं NGO साझेदारी

कॉर्पोरेट संस्थाएँ और NGO विद्यालयों को अधोसंरचना, डिजिटल संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति अथवा अन्य शैक्षिक हस्तक्षेपों के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।

7. सैद्धांतिक आधार

PPP और शिक्षा के संबंध को कई सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है।

7.1 सार्वजनिक चयन सिद्धांत (Public Choice Theory)

सार्वजनिक चयन सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरशाही जड़ता, सीमित प्रतिस्पर्धा और दक्षता संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। PPP को इस दृष्टिकोण से सार्वजनिक सेवाओं में प्रबंधन दक्षता और वैकल्पिक सेवा-प्रदाय का साधन माना जा सकता है।

7.2 नया सार्वजनिक प्रबंधन (New Public Management)

नया सार्वजनिक प्रबंधन प्रदर्शन मापन, परिणाम-उन्मुखता, विकेंद्रीकरण, प्रबंधकीय दक्षता और अनुबंध आधारित जवाबदेहिता पर

बल देता है। PPP इसी प्रकार की परिणाम-आधारित शासन व्यवस्था से जुड़ा है।

7.3 मानव पूंजी सिद्धांत (Human Capital Theory)

मानव पूंजी सिद्धांत शिक्षा को दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक लाभ देने वाले निवेश के रूप में देखती है। PPP अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता जुटाकर मानव पूंजी निर्माण में योगदान दे सकता है।

7.4 संस्थागत सिद्धांत (Institutional Theory)

संस्थागत सिद्धांत के अनुसार PPP राज्य, बाजार और समाज के बीच संस्थागत संबंधों को पुनर्गठित करता है। शिक्षा में PPP इसी मिश्रित शासन संरचना का उदाहरण है।

7.5 सामाजिक न्याय और समानता का दृष्टिकोण (Social Justice and Equity Perspective)

सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण PPP का मूल्यांकन केवल दक्षता से नहीं बल्कि पहुँच, समानता, समावेशन, गरिमा और वितरणात्मक न्याय के आधार पर करता है। इस दृष्टिकोण से मजबूत सार्वजनिक विनियमन आवश्यक है।

8. हितधारकों की भूमिका

PPP आधारित शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएँ स्पष्ट होना आवश्यक है।

सरकार :

सरकार की भूमिका नीति निर्माण, वित्तपोषण, विनियमन, मानक निर्धारण, निगरानी और कानूनी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की है।

निजी क्षेत्र :

निजी साझेदार अधोसंरचना, प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता और सेवा-प्रदाय में योगदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित कानूनी और संविदात्मक मानकों का पालन करना चाहिए।

NGO एवं नागरिक समाज :

NGO समुदाय-आधारित कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण, वकालत और वंचित समुदायों तक पहुँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

विद्यालय एवं शिक्षक :

विद्यालय PPP के वास्तविक कार्यान्वयन की इकाई हैं। शिक्षक शैक्षणिक गुणवत्ता, नवाचार और बाल-केंद्रित शिक्षण के प्रमुख एजेंट हैं।

अभिभावक एवं समुदाय :

अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी पारदर्शिता तथा सामाजिक जवाबदेहिता को मजबूत करती है।

विद्यार्थी :

विद्यार्थी PPP व्यवस्था के अंतिम लाभार्थी नहीं बल्कि केंद्रीय अधिकार-धारक हैं। इसलिए उनके सीखने के परिणाम, सुरक्षा, गरिमा और समान भागीदारी को नीति का प्राथमिक परिणाम माना जाना चाहिए।

9. RTE Act, 2009 और PPP का कानूनी संबंध

RTE Act का मूल उद्देश्य 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना तथा शिक्षा की पहुँच एवं

गुणवत्ता के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना है।

PPP के संदर्भ में अधिनियम की धारा 12(1)(c) विशेष महत्व रखती है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रवेश स्तर पर कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए उपलब्ध करानी होती हैं। इस व्यवस्था में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति का प्रावधान निजी विद्यालयों की क्षमता को सामाजिक समावेशन के उद्देश्य से जोड़ता है। इस अर्थ में यह शिक्षा के सार्वजनिक और निजी प्रदाय के बीच एक संस्थागत संबंध बनाता है।

हालाँकि, RTE Act स्वयं शिक्षा क्षेत्र के लिए एक विस्तृत और स्वतंत्र PPP operational framework प्रदान नहीं करता। PPP के प्रभावी संचालन के लिए राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन नियम, प्रवेश प्रक्रियाएँ, प्रतिपूर्ति व्यवस्था, निगरानी और जवाबदेहिता तंत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

इसलिए PPP की वैधानिक वैधता से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी व्यावहारिक जवाबदेहिता और अधिकार-आधारित कार्यान्वयन का है।

10. PPP मॉडलों का तुलनात्मक मूल्यांकन :

PPP मॉडल	RTE के साथ संगतता	प्रमुख लाभ	प्रमुख जोखिम
सार्वजनिक वित्तपोषित-निजी प्रबंधन	मध्यम से उच्च	प्रबंधन दक्षता, नवाचार	जवाबदेहिता
CSR आधारित साझेदारी	पूरक रूप से उच्च	अतिरिक्त संसाधन, ICT, अधोसंरचना	सीमित पैमाना, स्थायित्व
निजी विद्यालयों को सार्वजनिक प्रतिपूर्ति	उच्च, जहाँ वैधानिक रूप से लागू	सामाजिक समावेशन	प्रतिपूर्ति एवं कार्यान्वयन संबंधी समस्याएँ
सेवा-प्रदाय PPP	संदर्भ-निर्भर	विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता	गुणवत्ता नियंत्रण
वाउचर/सब्सिडी मॉडल	संदर्भ-निर्भर	विकल्प और वित्तीय पहुँच	सामाजिक विभाजन एवं चयनात्मकता

इस तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी PPP मॉडल समान परिणाम उत्पन्न नहीं करते। उनकी उपयुक्तता स्थानीय आवश्यकता, अनुबंधीय संरचना, सार्वजनिक वित्तपोषण और नियामक क्षमता पर निर्भर करती है।

11. PPP का शिक्षा तक पहुँच पर प्रभाव :

PPP विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विद्यालयी क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव है। निजी विद्यालयों की मौजूदा क्षमता का उपयोग नए सार्वजनिक अधोसंरचना निवेश की तत्काल आवश्यकता को कुछ हद तक कम कर सकता है।

RTE Act की धारा 12(1)(c) के माध्यम से EWS और वंचित समूहों के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलना सामाजिक समावेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

फिर भी पहुँच का विस्तार समान रूप से नहीं हुआ माना जा सकता। ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में निजी विद्यालयों की सीमित उपलब्धता PPP के विस्तार को बाधित कर सकती है। दस्तावेजीकरण, डिजिटल आवेदन और प्रवेश संबंधी प्रक्रियाएँ भी सबसे वंचित

परिवारों के लिए बाधा बन सकती है।

अतः PPP को सार्वभौमिक पहुँच का पूर्ण विकल्प नहीं माना जा सकता।

12. शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव :

PPP मॉडल बेहतर अधोसंरचना, डिजिटल संसाधन, प्रबंधन प्रक्रियाएँ और कुछ परिस्थितियों में शिक्षक उपस्थिति तथा कक्षा प्रबंधन में सुधार ला सकते हैं।

NGO या निजी प्रबंधन आधारित विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण, डेटा-आधारित शिक्षण और तकनीकी नवाचार जैसे हस्तक्षेप उपयोगी हो सकते हैं।

हालाँकि, सीखने के परिणामों से संबंधित प्रभाव सभी PPP मॉडलों में समान नहीं हैं। अधोसंरचना में सुधार स्वतः सीखने के परिणामों में समानुपाती सुधार सुनिश्चित नहीं करता।

इसलिए PPP की सफलता का मूल्यांकन केवल भवन, कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षा या अन्य इनपुट संकेतक से नहीं बल्कि **शैक्षणिक परिणाम, छात्र प्रतिधारण, उपस्थिति, समावेशन और समानता** जैसे परिणाम संकेतकों से किया जाना चाहिए।

13. समानता और सामाजिक समावेशन :

PPP का एक प्रमुख औचित्य वंचित समूहों को शिक्षा तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराना है। RTE के अंतर्गत निजी विद्यालयों में EWS और वंचित समूहों के बच्चों का प्रवेश इस उद्देश्य का प्रमुख उदाहरण है।

लेकिन औपचारिक प्रवेश और वास्तविक समानता अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। यदि वंचित बच्चों को प्रवेश मिलने के बाद सामाजिक अलगाव, भेदभाव, कलंक अथवा अलग व्यवहार का सामना करना पड़े, तो केवल प्रवेश संख्या में वृद्धि को वास्तविक सामाजिक न्याय नहीं माना जा सकता।

इसी प्रकार दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक और सहायक तकनीक की अनुपलब्धता PPP की समावेशन क्षमता को सीमित कर सकती है।

इसलिए PPP के मूल्यांकन में पहुँच से आगे बढ़कर सार्थक भागीदारी और गरिमा को शामिल करना आवश्यक है।

14. PPP बनाम पारंपरिक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली :

आयाम	PPP मॉडल	पारंपरिक सार्वजनिक शिक्षा
पहुँच	कुछ क्षेत्रों में चयनात्मक विस्तार	व्यापक सार्वजनिक दायित्व
अधोसंरचना	कई मामलों में बेहतर रखरखाव संभव	संसाधन असमान हो सकते हैं
सीखने के परिणाम	मिश्रित एवं संदर्भ-निर्भर	अपेक्षाकृत समान सार्वजनिक ढाँचा
समानता	उचित विनियमन के बिना विभाजन का जोखिम	मजबूत समानता जनादेश
जवाबदेहिता	अनुबंध आधारित	संवैधानिक/प्रशासनिक
स्थायित्व	अनुबंध और वित्तपोषण पर निर्भर	दीर्घकालिक राज्य प्रतिबद्धता

इस तुलना से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कोई एक मॉडल सार्वभौमिक रूप से श्रेष्ठ है। बल्कि दोनों प्रणालियों की शक्तियों को समझकर एक **संकर शासन मॉडल** विकसित करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

15. आलोचनात्मक चर्चा :

इस अध्ययन से चार प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं।

पहला, PPP शिक्षा में **अतिरिक्त क्षमता और संसाधन** उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में सार्वजनिक शिक्षा की संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं है।

दूसरा, PPP का सबसे स्पष्ट सामाजिक औचित्य तब दिखाई देता है जब सार्वजनिक वित्तपोषण और निजी सेवा-प्रदाय को सामाजिक समावेशन तथा स्पष्ट अधिकार-आधारित दायित्वों से जोड़ा जाता है।

तीसरा, PPP में निजी दक्षता का लाभ तभी सार्वजनिक हित में परिवर्तित होता है जब राज्य के पास पर्याप्त **नियामक क्षमता, अनुबंध-प्रबंधन क्षमता और निगरानी क्षमता** हो।

चौथा, शिक्षा को केवल बाजार-आधारित सेवा मानने से RTE के अधिकार-आधारित चरित्र और सामाजिक न्याय के उद्देश्य कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए PPP का अंतिम मूल्यांकन आर्थिक दक्षता के बजाय **सार्वजनिक मूल्य** के आधार पर किया जाना चाहिए।

16. प्रमुख चुनौतियाँ :

अध्ययन के आधार पर PPP के सामने निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ पहचानी जा सकती हैं:

1. प्रतिपूर्ति में विलंब;
2. राज्यों के बीच कार्यान्वयन में असमानता;
3. कमजोर निगरानी एवं प्रवर्तन;
4. परिणाम-आधारित जवाबदेहिता का अभाव;
5. निजी प्रदाताओं द्वारा चयनात्मक भागीदारी का जोखिम;
6. सामाजिक अलगाव एवं कलंक;
7. दिव्यांग बच्चों के लिए अपर्याप्त समावेशी व्यवस्था;
8. अल्पकालिक CSR परियोजनाओं की स्थायित्व समस्या;
9. सार्वजनिक एवं निजी हितों के बीच संभावित टकराव;
10. अनुबंध प्रबंधन की सीमित सरकारी क्षमता।

17. नीतिगत सिफारिशें :

17.1 शिक्षा-विशिष्ट PPP नीति

विद्यालय शिक्षा के लिए ऐसी स्पष्ट PPP नीति विकसित की जानी चाहिए जो RTE Act और अनुच्छेद 21A के अनुरूप हो। नीति में अनुमेय PPP मॉडल, निजी साझेदार की भूमिका, राज्य की जिम्मेदारी तथा स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए।

17.2 मानकीकृत अनुबंध

PPP अनुबंधों में निम्नलिखित अनिवार्य तत्व होने चाहिए:

- RTE अनुपालन;
- बाल सुरक्षा;

- भेदभाव न करना;
- समावेश;
- शैक्षणिक परिणाम;
- डेटा सुरक्षा;
- शिकायत निवारण;
- स्वतंत्र मूल्यांकन.

17.3 परिणाम-आधारित जवाबदेहिता

केवल बुनियादी ढांचा और इनपुट संकेतक पर निर्भर रहने के बजाय सीखने के परिणाम, उपस्थिति, प्रतिधारण, समावेशन और छात्र कल्याण को प्रदर्शन संकेतकों से बनाया जाना चाहिए।

17.4 डिजिटल निगरानी

RTE धारा 12(1)(c) के अंतर्गत प्रवेश, प्रतिपूर्ति और अनुपालन की डिजिटल निगरानी व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

17.5 समयबद्ध प्रतिपूर्ति

निजी विद्यालयों के लिए समय पर और पूर्वानुमेय प्रतिपूर्ति आवश्यक है। प्रतिपूर्ति व्यवस्था को वास्तविक लागत और सार्वजनिक हित के संतुलन के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए।

17.6 सामाजिक समानता

PPP विद्यालयों में भेदभाव-विरोधी प्रोटोकॉल, शिकायत तंत्र तथा EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए उन्मुखीकरण और संवेदनशीलता कार्यक्रम आवश्यक होने चाहिए।

17.7 दिव्यांगता एवं लैंगिक समावेशन

PPP मॉडल में सुलभ अवसरचना, प्रशिक्षित कर्मी, सहायक प्रौद्योगिकी और लिंग-संवेदनशील सुविधाएँ को न्यूनतम मानकों में शामिल किया जाना चाहिए।

17.8 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति

PPP को केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित करने के बजाय जहाँ निजी प्रदाय संभव नहीं है वहाँ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है।

17.9 स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन

प्रत्येक बड़े PPP कार्यक्रम का स्वतंत्र आवधिक मूल्यांकन होना चाहिए और उसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

17.10 दीर्घकालिक साझेदारी

अल्पकालिक और असंबद्ध CSR गतिविधियों के बजाय स्पष्ट प्रदर्शन संकेतक, नवीनीकरण शर्तें और निष्कासन प्रावधान वाली बहुवर्षीय साझेदारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

18. अध्ययन की सीमाएँ :

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों, नीतिगत दस्तावेजों और उपलब्ध साहित्य के वैचारिक विश्लेषण पर आधारित है। इसमें स्वतंत्र मैदान सर्वेक्षण, प्राथमिक साक्षात्कार अथवा अर्थमितीय विश्लेषण शामिल नहीं है।

इसलिए अध्ययन PPP और शैक्षणिक परिणाम के बीच प्रत्यक्ष कारक संबंध स्थापित करने का दावा नहीं करता। विभिन्न राज्यों में RTE और PPP के कार्यान्वयन में भिन्नता होने के कारण निष्कर्षों की सार्वभौमिकता भी सीमित है।

भविष्य के शोध में राज्य-स्तरीय तुलनात्मक अध्ययन, विद्यालय-स्तरीय दीर्घकालिक डेटा, हितधारक साक्षात्कार तथा सीखने के परिणाम डेटा सेट का उपयोग किया जाना चाहिए।

19. भविष्य के अनुसंधान की दिशा :

भविष्य के आधारभूत शोध में निम्नलिखित प्रश्नों पर अध्ययन किया जा सकता है:

1. PPP और सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक परिणाम की तुलनात्मक प्रभावशीलता।
2. RTE 12(1)(c) के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की दीर्घकालिक शैक्षिक प्रगति।
3. PPP विद्यालयों में EWS विद्यार्थियों के अनुभव।
4. PPP के प्रभाव का ग्रामीण और शहरी तुलना।
5. PPP और शिक्षक प्रत्यावर्तन तथा शिक्षक प्रभावशीलता।
6. PPP का लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण।
7. CSR आधारित शिक्षा परियोजनाओं की स्थिरता।
8. PPP में लिंग और विकलांगता समावेशन का अनुभवजन्य मूल्यांकन।

20. निष्कर्ष :

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में PPP की भूमिका को न तो पूर्णतः सकारात्मक और न ही पूर्णतः नकारात्मक माना जा सकता है। PPP शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, अधोसंरचना सुधारने, तकनीकी नवाचार लाने तथा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है। विशेष रूप से RTE Act की धारा 12(1)(c) के माध्यम से निजी विद्यालयों की क्षमता को वंचित बच्चों के सामाजिक समावेशन से जोड़ने का प्रयास महत्वपूर्ण है।

हालाँकि PPP की प्रभावशीलता स्वतः सुनिश्चित नहीं होती। प्रतिपूर्ति में विलंब, कमजोर निगरानी, जवाबदेहिता की अस्पष्टता, सामाजिक पृथक्करण, चयनात्मक भागीदारी और समावेशी अधोसंरचना की कमी इसके संभावित जोखिम हैं।

इसलिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण ऐसा **संकर (hybrid) मॉडल** प्रतीत होता है जिसमें सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली केंद्रीय भूमिका में बनी रहे और PPP को लक्षित, विनियमित तथा परिणाम-उन्मुख पूरक साधन के रूप में प्रयोग किया जाए।

PPP का उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा का निजीकरण नहीं, बल्कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ सार्वजनिक क्षमता को पूरक बनाना होना चाहिए। इसके लिए मजबूत सार्वजनिक संस्थाएँ, स्पष्ट अनुबंध, पारदर्शी वित्तपोषण, स्वतंत्र निगरानी, परिणाम-आधारित जवाबदेहिता और समानता-केंद्रित सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

अंततः शिक्षा में PPP की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि निजी क्षेत्र ने कितने संसाधन लगाए, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि **क्या अधिक बच्चों को समान, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और गरिमापूर्ण शिक्षा का अधिकार वास्तव में प्राप्त**

हुआ।

21. संदर्भ सूची :

1. Abidjan Principles. (2019). *Guiding Principles on the Human Rights Obligations of States to Provide Public Education and to Regulate Private Involvement in Education*.
2. ASER Centre. *Annual Status of Education Report (Rural)*. Pratham Education Foundation.
3. Department of Economic Affairs. (2011). *Public Private Partnership: Guide for Practitioners*. Ministry of Finance, Government of India.
4. Government of India. (2009). *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009*. Ministry of Law and Justice.
5. Government of India. (2010). *Right of Children to Free and Compulsory Education Rules*. Ministry of Human Resource Development.
6. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
7. Härmä, J. (2009). Public-private partnerships in education: The Indian experience. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 39(4), 421–436.
8. Kingdon, G. G. (2020). *The Private Schooling Phenomenon in India: A Review*. IZA Discussion Paper No. 13115.
9. Mehendale, A. (2013). *The RTE Act in India: Implementation Challenges and the Way Forward*. Centre for Civil Society, New Delhi.
10. Nambissan, G. B. (2010). Private schools for the poor: Business as usual? *Economic and Political Weekly*, 45(32), 67–75.
11. OECD. (2015). *Public-Private Partnerships in Education: Policy Insights*. OECD Publishing.
12. PROBE Team. (1999). *Public Report on Basic Education in India*. Oxford University Press.
13. Srivastava, P. (2013). *Low-Fee Private Schooling: Issues and Evidence*. UNESCO Education Research and Foresight Working Papers.
14. Tilak, J. B. G. (2010). Public-private partnership in education. *Economic and Political Weekly*, 45(40), 32–38.
15. UNESCO. (2017). *Global Education Monitoring Report: Accountability in Education*. UNESCO Publishing.
16. UNICEF. (2019). *The Right to Education and the Role of Non-State Actors*.
17. United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations General Assembly.
18. Verger, A., et al. (2016). Public-private partnerships in education: A political economy review. *Journal of Education Policy*, 31(2), 131–152.
19. World Bank. (2014). *The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education*. World Bank Group.
20. World Bank. (2015). *Systems Approach for Better Education Results (SABER): Engaging the Private Sector*. World Bank.